(i) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, भंडारी, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 (2010 का सा.का.नि. 33)

कॉलम (8) के अंतर्गत टिप्पणी ''उम्मीदवार के अन्यथा पूर्ण योग्य होने पर केंद्र सरकार के विवेकानुसार योग्यता में शिथिलता दी जा सकती है'' को हटा दिया जाए ।

[फा. सं. 23/04/2009-सीजीडब्ल्यूबी]

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में 13 फरवरी, 2010 के सा.का.नि. 33 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st January, 2011

G.S.R. 59.—In the following Notification published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 33 dated 13th February, 2010 notifying the amendment to Recruitment Rules for the post of Store Keeper in the Central Ground Water Board, a subordinate office of the Ministry of Water Resources, the following correction may be made :—

(i) The Central Ground Water Board, Store Keeper, Group 'C' post Recruitment Rules, 2010 (GSR 33 of 2010)

The Note under column (8) ''Qualification are relaxable at the discretion of the Central Government in case the candidates otherwise well qualified'' may be deleted.

[F. No. 23/04/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

Note : Principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 33 dated 13th February, 2010.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 60.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, फेरो मशीन आपरेटर भर्ती नियम, 2007, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, चपरासी भर्ती नियम, 2007 और केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान (चौकीदार), भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) के अधीन केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर (मल्टी टास्किंग स्टाफ) समूह "ग" भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मल्टी टास्किंग स्टाफ	05* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200—20200 रु.+ ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
मेट्रिकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह ''ग'' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग समिति तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर —अध्यक्ष 2. उप निदेशक (सिविल इंजीनियरी), केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 4-11/2010-मत्स्य प्रशासन]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 27th January, 2011

G.S.R. 60.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Ferro Machine Operator, Recruitment Rules, 2007, the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (Peon) Recruitment Rules, 2007 and the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery (Watchman) Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore, under the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, the Central institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore (Multi Tasking Staff), Group 'C', Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. .— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band, and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Tasking Staff	05* (2011) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs.1800	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2** : In respect of posts to which the appointments are made through the employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the employment exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :- 1. Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Chairman 2. Deputy Director (Civil Engineering) Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Member 3. Administrative Officer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore —Member	Not applicable.

[F. No. 4-11/2010-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 61.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मात्स्यिकी क्रियात्मक संस्थान (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1968 को, जहां तक उनका संबंध बेतार पर्यवेक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मत्स्यपालन, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में बेतार पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, केन्द्रीय मत्स्य पालन, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, बेतार पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।